

विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

समक्ष: न्यायालय विद्युत लोकपाल, रायपुर (छ.ग)

अपीलार्थी/आवेदक का विवरण

पूरा नाम:

पता:

मोबाईल नं. , ई.मेल ऐड्रेस

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक का विवरण:

पूरा नाम:

पता:

मोबाईल नं. , ई.मेल ऐड्रेस

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 46(2) के अंतर्गत अपील

अपील का विषय:-

1. अपील के तथ्यों की बिंदुवार विवरण;
2. अपील के साथ: (विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का आदेश संलग्न किया जावे।)
3. अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष/प्रार्थना:
4. यदि अपील, प्रतिनिधि/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र/वकालतनामा अलग से संलग्न किया जावे।
5. अंतरिम राहत यदि हो तो (अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जावे)
6. अपील पेश करने में यदि विलंब हुई है तो (अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जावे)
7. उत्तरवादी/अनावेदक जितने हो, अपील की उतनी प्रति मूल प्रति सहित पेश किया जावे।
(1+2),(1+3) (अनुक्रमणिका सहित (index))
8. प्रत्येक पृष्ठ पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर/स्वसत्यापित हो।
9. अपीलार्थी का घोषणा/शपथ पत्र नाम, रजिस्टर्ड पता, मोबाईल नं., हस्ताक्षर सहित। (संलग्न किया जावे)

